ठाणे में पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त

संशोधित नियमों को लेकर शहरी विकास मंत्री की बड़ी घोषणा

■ ठाणे, नवभारत न्यूज नेटवर्क. पुराने ठाणे समेत राज्य के घनी आबादी वाले इलाकों में पुराने भवनों के रुके हुए पुनर्विकास का मार्ग आधिकारिक प्रशस्त हो गया है. क्योंकि राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को संशोधित नियमों को मंजूरी देने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने कहा कि ये संशोधित नियम पुनर्विकास के लिए अधिक एफएसआई उपलब्ध कराएंगे और कई जटिल नियमों को सरल बनाएंगे. इसलिए, पुनर्विकास परियोजना डेवलपर्स और निवासियों दोनों के लिए संभव होगी.

09 मीटर की सड़कें 12 मीटर की मानी जाएंगी

70 मीटर तक इमारत की उंचाई बढ़ाने की अनुमति

खतरनाक इमारतों में रहने वालों को बड़ी राहत

■ शहरी विकास विभाग ने पिछले साल 3 दिसंबर को मुंबई को छोड़कर पूरे राज्य में एकीकृत डीसीपीआर (यूडीसीपीआर) एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम लागू किए थे.

■ इन नियमों पर एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र (एकनाथ और इनफ्रास्ट्रक्चर मैनुअल) का प्रकाशन शुक्रवार को ठाणे के काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह के मिनी थिएटर में किया गया. इस दौरान शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव भूषण गगरानी, महापौर नरेश म्हस्के, मनपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा, संयुक्त सचिव प्रतिभा भदाणे, टाउन प्लानिंग के निदेशक सुधाकर नांगनूरे, बिल्डर हीरेन पुनमिया, आर्किटेक्ट मनोज दैसरिया और कई आर्किटेक्ट्स और आर्किटेक्ट्स मौजूद थे.

■ इस मौके शिंदे ने घोषणा की कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुरानी और खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास की बाधाओं को हटा दिया गया है.

पार्किंग नियमों में दी गई ढील

खतरनाक इमारतें अनुमेय टीडीआर + 60% महायक एफएसआई बढ़ाई जाएगी. साथ ही 9 मीटर सड़क को 12 मीटर मानकर 70 मीटर तक के निर्माण की अनुमति दी जाएगी. इसी तरह, यदि सड़क की चौड़ाई 9 मीटर से कम है, ऐसी सड़कों की मनपा प्रशासन ने चौड़ाई बढ़ाकर 9 मीटर करने का निर्णय लिया है, तो उससे सटे निर्माणों को 9 मीटर चौड़ा स्वीकार्य लाभ मिलेगा. साथ ही पार्किंग नियमों में भी ढील दी गई है.

यूडीसीपीआर में ठाणे के लिए विशेष छूट

■ शहरी विकास मंत्री व जिला के पालकमंत्री शिंदे ने कहा कि इससे पहले यूडीसीपीआर में ठाणे के लिए विशेष भवन की सीमा 24 मीटर थी, इसे बढ़ाकर 25 मीटर कर दिया गया है. साथ ही ठाणे के विकास योजना के नक्शे में दर्शाए गए जी-2 जोन को कृषि विभाग में रखने हुए उसी के अनुरूप मंजूरी दी गई है.

■ समावेशी आवास का नियम एक एकड़ से अधिक के प्रोजेक्ट में 20 प्रतिशत छोटे घरों का निर्माण करना है. हालांकि, अब तक म्हाडा ने एक महीने के भीतर इन घरों पर निर्णय नहीं लिया है, तो परियोजना डिविडों को विक्रय के लिए स्थानीय योजना प्राधिकरण को घर उपलब्ध कराना जा सकते हैं.

शंकाओं और कठिनाइयों का होगा समाधान

यह संशोधित विनियमन पुनर्विकास परियोजना को व्यवहार्य बनाता और पुराने ठाणे सहित राज्य भर में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इमारतों के निचार पुनर्विकास को गति देगा. साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि निवासी और साथ ही डेवलपर्स संशोधित नियमों का स्वागत करेंगे.

अधर में लटका हुआ था भवनों का पुनर्विकास

शहरी विकास विभाग ने पिछले साल राज्य भर में शहरी विकास में निर्माण क्षेत्र और एकरूपता में समानता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन नियम, यानी एकीकृत डीसीपीआर अधिनियमित किया था. हालांकि, कुछ प्रावधान प्रावधानों के कारण, राज्य भर में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भवनों का पुनर्विकास अधर में लटका हुआ था. जिससे ठाणे में पुराने अधिकारिक भवन और जीर्ण-शीर्ण भवन भी शामिल थे. जिससे अब संशोधित देने की बात करते हुए शिंदे ने कहा कि, इसलिए संशोधित नियमों के अनुसार, एफएसआई (1.1) + 0.5 प्रीमियम एफएसआई + अनुमेय टीडीआर + 60 प्रतिशत महायक एफएसआई खतरनाक पुनर्विकास के लिए स्वीकृत किया जाएगा और एफएसआई (1.1) + 0.5 प्रीमियम एफएसआई + 50 प्रतिशत प्रोत्साहन एफएसआई पुनर्विकास के लिए स्वीकृत किया जाएगा.

31 फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई

■ ठाणे, (सं.) जिले में फर्जी डॉक्टरों की खोजबीन के लिये शुरू की गई मुहिम के तहत अक्टूबर माह में 31 डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. जिलाधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय बोगस डॉक्टर खोज समिति की बैठक के दौरान तालुका कमेटी द्वारा फर्जी डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष रेंगे ने कहा कि ग्राम पंचायत या नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में एलोपैथ या आयुर्वेद शुरू करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र तालुका चिकित्सा अधिकारी को जांच के लिए भेजा जाना चाहिए.

37 डॉक्टर पाए गए थे फर्जी

जिला स्तरीय फर्जी डॉक्टर खोज समीक्षा समिति की बैठक

इस दौरान अंबरनाथ, भिवंडी, शहापुर, कल्याण और मुरबाड तहसील के अंतर्गत फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई. फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई के दौरान डॉ. रेंगे ने चिकित्सा अधिकारियों को पुलिस विभाग से आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया. अक्टूबर के अंत तक ठाणे जिले में 37 फर्जी डॉक्टर पाए गए हैं, जिनमें से 31 फर्जी डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिनके मामले न्यायालय में प्रविष्ट हैं और उन्होंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है. बैठक में बताया गया कि वर्तमान में तालुका में कोई भी फर्जी डॉक्टर कार्यरत नहीं है. ग्राम पंचायत या नगर पंचायत को संबंधित चिकित्सा की शैक्षणिक योग्यता और अन्य दस्तावेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले तहसील चिकित्सा अधिकारी को जांच के लिए भेजना चाहिए. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रेंगे ने कहा कि ऐसा पत्र संबंधित एजेंसियों को दिया जाएगा. बैठक में डॉ. संजीवनी शिंदे, सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन और तालुका स्वास्थ्य अधिकारी ने भाग लिया.

सिडको

शुद्धिपत्र

नवी मुंबई के विभिन्न नोड्स में जनरल ट्रस्ट्स को संयुक्त स्कूल और जूनियर कॉलेज हेतु भूखंडों का पट्टा

योजना क्र. : एमएमओ/एसओएम, एवं जूनि.सी/03/2021-22

सिडको द्वारा नवी मुंबई के विभिन्न नोड्स में जनरल ट्रस्ट को संयुक्त स्कूल और जूनियर कॉलेज हेतु भूखंड का पट्टा हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे. उक्त हेतु दि. 13.09.2021 को द इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता और जनसत्ता समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. इसके तिथे ऑनलाइन भुगतान के जरिये ईएमडी की ऑनलाइन स्वीकृति दि. 25.10.2021 से 26.11.2021 तक निर्धारित की गई थी.

भूखंड का विवरण

अ. क्र.	नोड	सेक्टर क्र.	भूखंड क्र.	क्षेत्रफल (अनु.) वर्ग मी.	ईएमडी रकम (रु.)
1	खारघर	20	9	4000.18	68,86,310/-
2	द्रोणागिरी	55	73	4000	31,77,200/-
3	द्रोणागिरी	53	78	3796.40	30,15,481/-
4	द्रोणागिरी	56	110	4000	31,77,200/-
5	द्रोणागिरी	59	75	3584.84	28,47,438/-

इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे कृपया ध्यान दें कि ईएमडी की ऑनलाइन स्वीकृति की समयसीमा को दि. 29.11.2021 से दि. 13.12.2021 तक विस्तारित किया गया है तथा ईएमडी राशि के भुगतान की आवश्यक दस्तावेजों रसीद के साथ आवेदन जमा करने की तिथि 15.12.2021 होगी. उक्त अवधि हेतु वेबसाइट/पोर्टल पर बैंक के लिंक पर ईएमडी स्वीकार की जायेगी.

सिडको के पास बिना कोई कारण दर्शाये किसी भी अथवा सभी आवेदनों को निरस्त करने अथवा अपने विवेकानुसार योजना की किसी भी शर्त में संशोधन करने, रद्द करने, परिवर्तित करने तथा भूखंड को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है.

अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत होंगी.

महाप्रबंधक (शहरी सेवा)

CIN - U99999MH1970SGC014574 www.cidco.maharashtra.gov.in

SBI भारतीय स्टेट बैंक

कॉर्पोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400021

सूचना

[illegible]

भारतीय स्टेट बैंक

क्र. सं.	फोलियो सं.	धारक(कों) का नाम	शेयरों की संख्या	अग्रेषण संख्या से	अग्रेषण संख्या तक	विशिष्ट संख्या से	विशिष्ट संख्या तक
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	1000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	1000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

उपरोक्त आँकड़े शामिल निगमों के परिवर्तनानुसार रु. 1/- के अंकित मूल्य के कायांतरण शेयरों के विवरण प्रस्तुत करते हैं (रिकॉर्ड दिनांक 21.11.2014).

स्थान: मुंबई | शेयरों की संख्या: 15610 | महाप्रबंधक

दिनांक: 27.11.2021 | प्रभाव फार्मों की संख्या: 43 | (शेयर एवं बांड)

डबल दुष्कर्म और हत्या का मामला

संदेह के आधार पर आरोपी बरी

■ नवी मुंबई, (का. प्र.) वर्ष 2012 में कथित बोलने वाली 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर एक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में ठाणे सत्र न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी. इस को लेकर आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की थी. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को संदेह के आधार पर बरी कर दिया है. जानकारी अनुसार वर्ष 2012 में बेलापुर में कथित बेचने वाले ने 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर एक की.

सरकारी वकील नहीं साबित कर सका आरोप

हत्या करने के आरोप में रवींद्रसिंह नेगा को ठाणे सत्र न्यायालय ने वर्ष 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी. नेगा ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय में अपील किया. इस अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति साधना जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच के सामने था. सरकारी वकीलों का आरोप है कि 2 महिलाओं से दुष्कर्म कर एक की हत्या की गई और दूसरी को गंभीर रूप से जख्मी किया गया. हालांकि सरकारी वकील ने अदालत में आरोपी की भूमिका को साबित नहीं कर सका. इस को आधार बनाते हुए न्यायालय ने नेगा को बरी कर दिया. इसके अलावा अदर लगे सभी आरोप भी हटा दिया है.

इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

(गोवा सरकार का उपक्रम)

1ली मंजिल, आदिल शाह पैलेस, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, पणजी, गोवा - 403001

टेली. : +91-832-222-0440 ईमेल : office@imaginepanaji.com

वेबसाइट : www.imaginepanaji.com

Smart City

निविदा सूचना

(केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)

क्र. आईपीएससीडीएल/टीजी./पीएमसी/सामान्य/2019-20/776/003 दिनांक : 26.11.2021

इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (आईपीएससीडीएल) द्वारा **"जीटीडीसी जमीन के पीछे मैदान कोर्सलेक - पट्टो एरिया के रिवाइटलाइजेशन और पेडेस्ट्रियन प्लाज़ा का विकास"** के कार्य हेतु प्रतिष्ठित ठेकेदारों से आइटम दर आधार पर दो बोली प्रणाली अंतर्गत ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं (पुनर्निविदा).

इच्छुक बोलीकर्ता पंजीकरण करायें और फिर निविदा दस्तावेज तथा विस्तृत निविदा सूचना वेबसाइट **https://eprocure.goa.gov.in** से डाउनलोड करें.

बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि **14 दिसंबर 2021** है.

डीआई/निविदा/आईपी/स्मार्ट सिटी/2021 एमडी एवं सीईओ

मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को हमेशा साफ रखें.

माजीवाड़ा- मानपाड़ा प्रभाग समिति में

अनाधिकृत ढाबों पर गिरी मनपा की गाज

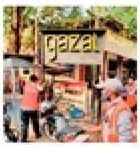

■ ठाणे, नवभारत न्यूज नेटवर्क. ठाणे नगर निगम में माजीवाड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति के तहत अनाधिकृत ढाबों को हटाने के लिए अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्रवाई की गयी. ठाणे मनपा क्षेत्र में अनाधिकृत व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान आयुक्त डॉ विपिन शर्मा के आदेश पर छेड़ा गया है.

सहायक आयुक्त की मौजूदगी में चला हथौड़ा

इस कार्रवाई के तहत विस्तार ढाबा-कोलशेत खाड़ी के किनारे, जय भवानी ढाबा-कोलशेत वॉरिया पाड़ा, राकेश ढाबा-विमल पुनिवर कंपाउंड कोलशेत, मनहर ढाबा-बालकुम पाडा क्रमांक 1 वाइनमाइन के पास, शुभ डाइनीज, हनुमान मंदिर, बालकुम नाका आदि पर कार्रवाई कर ढाबे को निष्कासित कर दिया गया. यह कार्रवाई उपायुक्त अतिक्रमण अधिकारी वास्कर के मार्गदर्शन में माजीवाड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त संतोष कवारकर की मौजूदगी में दिलीप शिरसाठकर, जयराम वर्मा, सुधाकर गायकवाड़, कालीदास राठौड़ और अतिक्रमण विरोधी दस्ते के सहयोग से की गई.

हथियार दिखाकर लूटपाट

■ मुंब्रा, (सं.) वाहन चालकों से लूटपाट का सिलसिला जारी है. चौफेर के नजदीक रात के समय चालकों को निशाना बनाते हैं. कैमिकल का टैंकर लेकर जा रहे चालक को हथियार का भय दिखाकर दो बदमाशों दिन बाद 7 हजार रुपये लूटने की घटना शील परिसर में हुई है. जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है. मिली जानकारी के अनुसार कल्याणकोनी निवासी महादेव दलवी डोम्बिवली स्थित कंपनी से टैंक में केमिकल भरकर मुंब्रा पनवेल मार्ग से जा रहे थे.

शिलफाटा से महिंद्रा के पास वाहन पर सवार होकर आ रहे बदमाश दोनों तरफ से बदमाश केबिन में घुसे और धारदार हथियार दिखाकर मोबाइल और नगदी छीनकर फरार हो गये. जिसको लेकर चालक ने डायघर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

(जल अभियंता का विभाग)

ई-निविदा सूचना

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु दोन लिफाफा प्रणाली में आइटम दर आधार पर ल्यात में कार्यरत फर्मों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा दस्तावेज क्र.	7200018559
संगठन का नाम	बृहन्मुंबई महानगरपालिका
विषय	एई (मेंटे.) [illegible] अंतर्गत [illegible] अनुरक्षण कार्य हेतु [illegible] की आपूर्ति.
निविदा का मूल्य	रु. 2,415 (रु. 2,300 + 5% जीएसटी, लागू अनुसार)
ई-निविदा का मूल्य (अनुमानित लागत)	लागू नहीं
बोली सुरक्षा जमा/ईएमडी	रु. 46,000/-
निविदा जारी करने तथा बिक्री की तिथि	29.11.2021 को 11.00 बजे से
बोली सुरक्षा जमा की स्वीकृति तथा निविदा की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	13.12.2021 को 15.00 बजे तक
लिफाफा ए, बी और लिफाफा सी जमा करना (ऑनलाइन)	13.12.2021 को 16.00 बजे तक
लिफाफा ए का खुलना	13.12.2021 को 16.10 बजे के पश्चात
लिफाफा बी का खुलना	13.12.2021 को 16.15 बजे के पश्चात
लिफाफा सी का खुलना	20.12.2021 को 16.00 बजे के पश्चात
वेबसाइट	http://portal.mcgm.gov.in
संपर्क व्यक्ति	1. श्री टी. पी. डीकुन्हा (एसई) 9930260504 2. श्री आर. एस. कुलकर्णी (एई) 9930260503
पत्राचार हेतु पता	सहायक अभियंता मीटर कार्य (अनु.) [illegible], सिटी पत्रालय पोस्ट के नीचे, दादाभाई पथ, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056
बोली खुलने का स्थान	सहायक अभियंता मीटर कार्य (अनु.), [illegible], सिटी पत्रालय पोस्ट के नीचे, दादाभाई पथ, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 के कार्यालय में ऑनलाइन.

उक्त निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय है.

एमसीजीएम के पास बिना कोई कारण दर्शाये उपरोक्त विषय हेतु प्राप्त किसी भी अथवा सभी आवेदन को निरस्त करने अथवा किसी भी आवेदन को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है.

हस्ता./- एई (अनु.) [illegible] | हस्ता./- ई.ई. (अनु.) [illegible] | हस्ता./- उप जल अभियंता (अनु.) प्रभारी

पीआरओ/1627/विज्ञा./2021-22 मलेरिया मुक्त मुंबई पुनर्विलाश कार्यक्रम दि. 1 से 30 नवंबर 2021

PANVEL MUNICIPAL CORPORATION, PANVEL

(Public Work Department)

Tender Notice No: PMC/CE/239/2021-22

Additional Commissioner-I, Panvel Municipal Corporation, Panvel invites Request for Proposal (Quotation) through e-tendering system from experienced and competent agencies for **"Appointment of contractor for cleaning of Water body of Wadale Lake by Bio-Remediation/Mechanical Process & maintaining water quality on Yearly cost basis"**. The blank forms and the detailed information regarding tenders will be available on the website www.mahatenders.gov.in from 29/11/2021 to 13/12/2021 up to 03.00 PM. The completed tenders are to be uploaded 29/11/2021 to 13/12/2021 up to 03.00 PM and the tenders will be open on 14/12/2021 at 13.00 PM if possible.

Sr. No.	Name of Work	Cost of Blank Tender form (in INR) (to be paid Online only)	Earnest Money Deposit (in INR) (to be paid Online only)	Duration of Work
1	"Appointment of contractor for cleaning of Water body of Wadale Lake by Bio Remediation / Mechanical Process & maintaining water quality on Yearly cost basis"	1180/-	1,50,000/-	3 Years

A pre-bid meeting will be held on 07/12/2021 at 11.00 AM in the office of the Executive Engineer, Panvel Municipal Corporation, Panvel.

The Technical proposal will be opened on 14/12/2021 at 03:00 PM, if possible in the presence of Bidder's representative. The Financial proposal (Envelop-2) shall be opened subsequently for which intimation will be send to the Agency whose Technical Proposals have been found acceptable.

Rights to reject any or all tenders without assigning any reasons thereof are reserved by Commissioner, Panvel Municipal Corporation and whose decision will be final and legally binding on all the tenderers.

-Sd-
Additional Commissioner-I
Panvel Municipal Corporation
Panvel

स्वत्वाधिकारी नवभारत इनेवेंचर्स प्रा. लि. हेतु [illegible] द्वारा नवभारत भवन, प्लॉट नं. 13, सेक्टर-8, सानपाड़ा (पूर्व), नवी मुंबई- 400 705 से मुद्रित तथा [illegible], मुंबई - 400 011 से प्रकाशित. संपादक- निमिष माहेश्वरी, RNI Reg. No. 46960/97 To post without prepayment Regn. No. 29, Licence No. 4. मुंबई ■ फोन : 022-[illegible] दिल्ली : 011- 233 34 237/8. ■ E-Mail: [illegible]@gmail.com